न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 256/2019 दिनांक–23–12–2019

हरफूल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी महणा की ढाणी तन देवगांव तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुभाष चन्द्र आर्य
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
:: निर्णय ::

दिनांक : 26–02–2020

वादी ने एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारो की भूमि खाता संख्या नया 141 पुराना 143 ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा में भूमि खसरा नम्बर नया 392, 393, 402, 403, 406, 439, 459, 545/454 कुल किता 9 कुल रकबा 9.12 हैक्टर स्थित है जिसमें मुझ वादी प्रार्थी का 1/21 वां हिस्सा है। भूमि के हिस्सा व कब्जा काश्त का कोई विवाद नही है, केवल प्रार्थी का नाम हरफूल पुत्र रामूराम की बजाय फूलचन्द पुत्र रामुराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है। जिसे दुरूस्त करवाना है। प्रार्थी का नाम अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र आदि में नाम हरफूल पुत्र रामूराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कृषि करने के लिये राजकीय सहायता बैंक से लोन किसान कार्ड आदि बनाने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी का राजकीय दस्तावेजो में दर्ज नाम हरफूल पुत्र रामूराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में फूलचन्द पुत्र रामूराम की जगह हरफूल पुत्र रामूराम दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावे।

कृषक को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का अधिकार सदैव रहता है। वाद पत्र में वर्णित भूमि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा में स्थित है, जिस कारण श्रीमानजी को यह वाद सुनने का क्षैत्राधिकार है।

वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा में स्थित भूमि नया खाता संख्या 141 पुराना खाता संख्या 143 में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 392, 393, 398, 402, 403, 406, 439, 459, 545/454 में वादी का नाम फूलचन्द पुत्र रामूराम की जगह हरफूल

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

पुत्र रामूराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में हरफूल पुत्र रामुराम दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रतिवादी को देवे व इसी अनुसार डिक्री कायम की जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ की ओर से राज. पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ ने जवाब दावा/रिपोर्ट में वर्णित किया है कि ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा के खाता संख्या 141 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में फूलचन्द पुत्र रामूराम हिस्सा 1/21 जाति जाट निवासी महणों की ढाणी तन देवगांव में दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी के दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड में नाम हरफूल दर्ज है। ग्राम देवगांव के मौतविरानों से पूछताछ पर अवगत करवाया कि उक्त व्यक्ति का नाम फूलचन्द व हरफूल दोनो ही नामों से जाना जाता है तथा दोनो नामो का एक ही व्यक्ति है। हरफूल पुत्र रामूराम नाम शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें वादी का नाम हरफूल अंकित है तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट अनुसार भी वादी का सही नाम हरफूल होना वर्णित किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा में स्थित भूमि नया खाता संख्या 141 पुराना खाता संख्या 143 में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 392, 393, 398, 402, 403, 406, 439, 459, 545/454 में वादी का नाम फूलचन्द पुत्र रामूराम के स्थान पर हरफूल पुत्र रामूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला

मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 256 / 2019 (हरफूल बनाम तहसीलदार नवलगढ)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 2602.2020 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम देवगांव पटवार हल्का गोठडा में स्थित भूमि नया खाता संख्या 141 पुराना खाता संख्या 143 में स्थित भूमि नया खसरा नम्बर 392, 393, 398, 402, 403, 406, 439, 459, 545/454 में वादी का नाम फूलचन्द पुत्र रामूराम के स्थान पर हरफूल पुत्र रामूराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जिन............–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26 माह 02 सन 2020 को जारी की गई।

(मुरारी लाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	05.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 12:15:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: